राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.15(20)वन/94 जयपुर, दिनांक : 29.07.2011

आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.07.2011, 20.02.2009 एवं 26.08.2010 को अधिलंघन करते हुए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये पौधों की विक्रय दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित दर प्रति पौधा (रूपये में)
1	**कांटेदार प्रजाति के पौधें**	4.00
2	**छायादार एवं चौडी पत्ती वाले पौधे**	
	• 2 फीट की ऊंचाई तक के पौधें	5.00
	• 2 फीट से ऊपर एवं 3 फीट की ऊंचाई तक के पौधे	8.00
	• 3 फीट से ऊपर एवं 5 फीट की ऊंचाई तक के पौधे (बडी थैलियों में)	15.00
	• 5 फीट से ऊपर की ऊंचाई एवं 8 फीट की ऊंचाई तक के पौधें (बडी थैलियों में)	40.00
	• 8 फीट से ऊपर की ऊंचाई एवं 10 फीट की ऊंचाई तक के पौधें (बडी थैलियों में)	55.00
	• 10 फीट से ऊपर ऊंचाई के पौधें	70.00

उपरोक्त दरे निम्न शर्ताधीन लागू होगी :

1. ये दरें निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों एवं कृषकों के लिये एक समान ही रखी जाती है।
2. नरेगा द्वारा वित पोषित नर्सरियों में तैयार पौधें नरेगा की गाईड लाईन्स के अनुसार नरेगा में स्वीकृत कार्यो एवं राजकीय परिसरों के लिये निःशुल्क दिये जावेंगे।
3. बिन्दु संख्या 2 के अलावा विभिन्न नर्सरियों से समस्त राजकीय विभागो/कार्यालयों को सशुल्क पौध उपलबध कराने की व्यवस्था रहेगी। अपवाद स्वरूप राज्य में भारत स्काऊट एवं गाईड्स द्वारा चलाये जा रहे नेशनल ग्रीन कोर योजनान्तर्गत उनके अधिकारियों द्वारा लिखित आवेदन पर अधिकतम 100 पौधे पाठशालाओं शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में पौध रोपित करने के लिये शिक्षण संस्थान के लिखित आवेदन पर अधिकतम 100 पौधें तथा राज्य जिला, उपखण्ड, तहसील/रेंज स्तरीय एवं अन्य स्थानों पर आयोजित सामूहिक वन महोत्सवों के लिये उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधें निःशुल्क उपलब्ध कराये जावेंगे।
4. 8 से 10 फीट एवं 10 फीट से अधि ऊंचाई वाले पौधों की संख्या सीमित होने से उन्हें सर्वप्रथम वन महोत्सव एवं रोड साईड वृक्षारोपण आदि के लिये विभाग सुरक्षित रखें तथा इनकी मांगो की पूर्ति होने के उपरांत बचने वाले पौधें उपरोक्त निर्धारित दरों पर वितरण किये जावेगे।
5. यह दरें **दिनांक 01.08.2011** से लागू होगी।

यह स्वीकृति वित (व्यय–III) विभाग की आई.डी. संख्या 101102261 दिनांक 15.07.2011 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(सी.एस.रत्नासामी),
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (नरेगा), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. स्टेट चीफ कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड, राज्य मुख्यालय, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से संबंधित वनाधिकारियों को प्रति उपलब्ध करावें।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित (व्यय–3) विभाग
13. वित (बजट) विभाग
14. वितीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.5(   )2004 / विकास / प्रमुवसं /   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त वन मण्डलों को तत्काल सूचित करें :–

1. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण।
2. मुख्य वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
3. वन संरक्षक, वनवर्धन, ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक (आयोजना),
राजस्थान, जयपुर